प्रेस के लिए सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 97/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु रिज़र्व मूल्य" पर अनुशंसाएं जारी कीं

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु रिज़र्व मूल्य" पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर 2023 के रिफरेंस तथा दिनांक 19 मार्च 2024 और 9 अप्रैल 2024 के स्पष्टीकरणों के माध्यम से भादूविप्रा से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) में स्थित श्रेणी 'ई' के 18 शहरों/कस्बों में प्राइवेट एफएम रेडियो के विस्तार हेतु एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए रिज़र्व मूल्य पर अनुशंसाएं मांगी थीं। एम.आई.बी. ने भादूविप्रा से बिलासपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा) और रुद्रपुर (उत्तराखंड) शहरों के लिए भी रिज़र्व मूल्य अनुशंसित करने का अनुरोध किया था।

3. तदनुसार, 1 अगस्त 2024 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया जिसमें एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए रिज़र्व मूल्य से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। परामर्श पत्र पर प्राप्त टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके पश्चात् 10 अक्टूबर 2024 को एक ओपन हाउस डिस्कशन आयोजित किया गया।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने तथा विषयों का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात् प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है। अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए रिज़र्व मूल्य बिलासपुर (छत्तीसगढ़) हेतु 0.83 करोड़ रुपये, राउरकेला (ओडिशा) हेतु 1.20 करोड़ रुपये तथा रुद्रपुर (उत्तराखंड) हेतु 0.97 करोड़ रुपये होना चाहिए।
- श्रेणी 'ई' शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए रिज़र्व मूल्य 3.75 लाख रुपये होना चाहिए।
- श्रेणी 'ई' शहरों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य (नेटवर्थ) की आवश्यकता 30 लाख रुपये होनी चाहिए। अन्य सभी श्रेणियों (ए+, ए, बी, सी, डी, अन्य) के शहरों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता, दिनांक 25.07.2011 की मौजूदा एफएम फेज़-III नीति दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार, यथावत लागू रहेगी।
- आवेदन आमंत्रण सूचना/सूचना ज्ञापन अथवा अन्य दिशा-निर्देशों/निर्देशों में आवृत्ति आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें शामिल होंगी, जिनमें आवृत्ति आवंटन की प्रक्रिया, शहरवार न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता, अग्रिम राशि जमा, रिज़र्व मूल्य, भुगतान पद्धति, रोल-आउट और अन्य दायित्व, ब्लैकलिस्टिंग और ज़ब्ती आदि तथा अन्य प्रासंगिक पहलू (जो पूर्व में अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया और अनुमति अनुबंध (जीओपीए) का हिस्सा थे) सम्मिलित होंगे, जैसा कि प्रचलित फेज़-III एफएम रेडियो नीति दिशा-निर्देशों में वर्णित है।
- सकल राजस्व (जीआर) की परिभाषा को, संशोधित रूप में, मौजूदा एफएम फेज़-III नीति दिशा-निर्देशों से अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि रेडियो ऑपरेटर द्वारा किसी रेडियो चैनल का स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उस स्ट्रीमिंग से उत्पन्न राजस्व को भी जीआर की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

- श्रेणी 'ई' शहरों के लिए प्रारंभिक तीन वर्षों तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 2% वार्षिक/प्राधिकरण शुल्क लागू होना चाहिए, जिसके बाद एजीआर का 4% वार्षिक/प्राधिकरण शुल्क लागू किया जाना चाहिए। एजीआर की गणना, जीआर से जीएसटी घटाने के पश्चात् की जानी चाहिए।
- श्रेणी 'ई' शहरों में निजी प्रसारकों को आवंटन हेतु अधिकतम 3 चैनल होने चाहिए। अन्य सभी श्रेणियों (ए+, ए, बी, सी, डी, अन्य) के शहरों के लिए अधिकतम चैनलों की संख्या, दिनांक 25.07.2011 की मौजूदा एफएम फेज़-III नीति दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार, यथावत लागू रहेगी।

5. एफएम रेडियो ऑपरेटर्स की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने निम्नलिखित उपायों की अनुशंसा की है:

- प्राइवेट एफएम रेडियो ऑपरेटर्स को समाचार और सामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो प्रत्येक घड़ी घंटे में अधिकतम 10 मिनट तक सीमित हो।
- अधिकृत इकाई को समाचार सामग्री हेतु समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा।
- स्थलीय रेडियो सेवाओं के लिए अधिकृत इकाई को किसी रेडियो चैनल के कार्यक्रमों को एक साथ स्ट्रीम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बिना उपयोगकर्ता नियंत्रण के (अर्थात् स्ट्रीमिंग के दौरान डाउनलोड, प्लेबैक, रिप्ले आदि जैसी सुविधाएं उपयोगकर्ता को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए)।
- एफएम रेडियो चैनल का वार्षिक लाइसेंस शुल्क, सभी लाइसेंसधारकों (मौजूदा लाइसेंसधारकों सहित) के लिए, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) से अलग किया जाना चाहिए। लाइसेंस शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एफएम रेडियो चैनल के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 4% के रूप में की जानी चाहिए। 'अन्य' श्रेणी (पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं द्वीप क्षेत्रों के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों) के शहरों के लिए, प्रारंभिक तीन वर्षों तक एजीआर का 2% वार्षिक/प्राधिकरण शुल्क लागू होना चाहिए, जिसके बाद एजीआर का 4% वार्षिक/प्राधिकरण शुल्क लागू किया जाना चाहिए। एजीआर की गणना करते समय सकल राजस्व (जीआर) से जीएसटी को बाहर रखा जाना चाहिए।
- प्रसार भारती को अपनी भूमि एवं टॉवर बुनियादी ढांचे (एलटीआई) तथा सामान्य प्रसारण बुनियादी ढांचे (सीटीआई) को निजी प्रसारकों के साथ रियायती किराया दरों पर सांझा करना चाहिए, जबकि परिचालन व्ययों की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।
- सफल बोलीदाताओं को बोली राशि के भुगतान हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए स्पेक्ट्रम नीलामी में किया गया था।
- प्रसारण बुनियादी ढांचे के अनिवार्य सह-स्थान की शर्त को हटा दिया जाना चाहिए और स्थलीय रेडियो सेवा हेतु अधिकृत इकाइयों को प्रसारण सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं आदि की इकाइयों के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. अनुशंसाओं का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी हेतु डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं. +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 23/9/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा